मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 29, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री आरिफ अकील, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83-बी की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखेंगे.

(2) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश शासन के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन जनवरी, 2017 एवं इस पर राज्य शासन का अनुवर्ती कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सर्वश्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के वन वृत्त लौंगुर में लकड़ी कटाई में लगे मजदूरों को मजदूरी न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर जिला चिकित्सालय को नवीन भवन में संचालित न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा, सचिन बिरला, नारायण पटेल, सदस्य, इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री मुन्नालाल गोयल, सदस्य, ग्वालियर के फूटी कॉलोनी के विस्थापितों को पट्टे प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा में कॉलेज की स्थापना किये जाने,

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले की कृषि उपज मण्डी के समीप जमधड़ नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले की माही नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गोरा स्थित गोरा तालाब में उर्मिल नदी का पानी उर्मिल फीडर के माध्यम से पहुंचाये जाने,

(5) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने,

(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थित माछा नदी पर बांध बनाये जाने,

(7) श्री मनोज चावला, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम पंचायत भीम में हाई स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(8) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम टिगरिया के कोहदड़, सिरपुर एवं बड़गांवगुजर के नालों पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत उमरेठ कुशवाहा मोहल्ला से राखी ढाना तक रोड निर्माण कराये जाने,

(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम गुड़वेल से भुवाना तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत पुरानी ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कराये जाने,

(12) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बांध सुजारा से सामूहिक जल प्रदाय योजना स्वीकृत किये जाने,

(13) श्री गोवर्धन दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र अंतर्गत एक नवीन कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खुलवाये जाने,

(14) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पाड़लियामाता में शासकीय कन्या हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(15) श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम सिलवानी से धार बेरियर तक व्हाया सोमूखेड़ा होते हुये सड़क निर्माण कराये जाने,

(16) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सेमल्या में क्षिप्रा नदी पर डेम बनाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(17) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ओरछा में शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(18) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम नरयावली में मांगलिक भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(19) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना जिले की नई बस्ती अंतर्गत नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने, तथा

(20) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम झारा से चिटराऊ की कीठ गजवाही होते हुये छकता तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य.

(1) श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री, दिनांक 8 जुलाई, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 258) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत मंत्री, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 (क्रमांक 377) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री, दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 74) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान .... (क्रमश:).

निर्धारित समय			
1 घण्टा 30 मि.	(1)	मांग संख्या 8 मांग संख्या 9 मांग संख्या 36 मांग संख्या 58	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व विभाग से संबंधित व्यय परिवहन प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.
1 घण्टा	(2)	मांग संख्या 14 मांग संख्या 16	पशुपालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास.
1 घण्टा	(3)	मांग संख्या 33 मांग संख्या 69	आदिम जाति कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण.
1 घण्टा 30 मि.	(4)	मांग संख्या 27 मांग संख्या 40	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).
2 घण्टे	(5)	मांग संख्या 12	ऊर्जा.
1 घण्टा	(6)	मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
1 घण्टा	(7)	मांग संख्या 10	वन.
30 मि.	(8)	मांग संख्या 56 मांग संख्या 68	कुटीर एवं ग्रामोद्योग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा.
1 घण्टा 30 मि.	(9)	मांग संख्या 22 मांग संख्या 41 मांग संख्या 64	नगरीय विकास एवं आवास सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.
1 घण्टा 30 मि.	(10)	मांग संख्या 43 मांग संख्या 44	खेल और युवा कल्याण उच्च शिक्षा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2019